पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए 10 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 59-59 हजार रुपये (कुल 5.90 लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

Meticulous Investigation & Prosecution

घटना का संक्षिप्त विवरण:- वर्ष 2018 में थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बझैड़ा खुर्द में एक भीड़ के समूह द्वारा कासिम नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी व उसके साथी समयदीन को मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया गया था। जिसमें थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था व करीब 180 दिनों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल कर लगातार प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 12.03.2024 को सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

थाना पिलखुवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 281/2018 धारा 147,148,307,302,153ए भादवि बनाम 1. युधिष्ठिर पुत्र शिवदयाल, 2. राकेश पुत्र जगदीश, 3. कालू उर्फ कप्तान पुत्र भोपाल सिंह, 4. सोनू पुत्र सुरेश, 5. मांगेराम पुत्र प्रेमपाल, 6. रिंकू पुत्र सुखवीर, 7. हरिओम पुत्र चंद्रपाल सिंह, 8. मनीष पुत्र वीरेंद्र, 9. ललित पुत्र गोपी व 10. करण पाल पुत्र गजराज सिंह समस्त निवासी गण ग्राम बझैड़ा खुर्द थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ मामले में मा0 न्यायालय ADJ/स्पेशल पॉक्सो हापुड़ का निर्णय।